नगर निकायों को आर्थिक रूप से सक्षम करने की नगर विकास विभाग की कवायद

निकायों में बनेगा सिंकिंग फंड

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

नगर निकायों में सिंकिंग फंड बनेगा। ताकि अपनी जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए धन की कमी न हो। नगर विकास विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। विभाग ने सभी निकायों से इस तरह का कोष बनाने को कहा है। सिंकिंग फंड का इस्तेमाल विशेष रूप में कचरा प्रबंधन में होगा। इसके तहत कचरा संग्रहण, भंडारण, कचरा परिवहन के लिए आवश्यक वाहन, उपस्कर व अन्य सामग्री खरीदी जाएगी। सिंकिंग फंड होने से निकाय आर्थिक रूप से सक्षम भी रहेंगे।

विभाग ने इस संबंध में निकायों को दिए निर्देश में कहा है कि वे आवश्यक वाहन, उपस्कर व अन्य सामग्री की कुल अनुमानित लागत का 20 फीसदी राशि हर साल सिंकिंग फंड में जमा करें। ऐसा करने से पांच-सात वर्षों के बाद जब नए उपस्कर, वाहन व अन्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए धनराशि निकायों के पास ही मौजूद रहेंगे और उसे किसी की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी। यही नहीं निकाय अपनी जरूरतों के हिसाब से भी सामग्री खरीद सकेंगे।

इस समय निकायों को छोटी से छोटी सामग्री खरीद के लिए निकायों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। उनकी मांग फाइलों में इधर-उधर घूमती रहती है। तमाम सवालों और उनके जवाब में महीनों बीत जाते हैं। इससे निकायों को अपनी योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती है।

नगर विकास विभाग का मानना है कि निकायों में जितनी सामग्री, उपस्कर और वाहन हैं वे पांच-छह वर्षों में पुराने हो जाएंगे और तब निकायों को बड़े पैमाने पर इनका क्रय करना होगा। वैसी स्थिति में उन्हें धन के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर, सिंकिंग फंड होगा तो ऐसी समस्याओं का स्वतः निराकरण हो जाएगा।

अच्छी पहल

- हर साल निश्चित रूप से जमा होगी राशि
- पांच वर्ष बाद नई सामग्री खरीद में होगा उपयोग
- इस समय प्रक्रिया में ही बीत जाता है लंबा समय
- जरूरत के समय नहीं हो पाती खरीद

सभी निकायों में सिंकिंग फंड बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे निकाय समय पर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।

– डॉ. प्रेम कुमार, नगर विकास व आवास मंत्री